



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052026-272321
CG-DL-E-07052026-272321

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]
No. 303]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/ वैशाख 10, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/ VAISAKHA 10, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

F. No. बीएस/XI/11/01/2025-26.—एफ. संख्या बीएस/XI/11/01/2025-26-द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) संशोधन विनियम, 2026 दिनांक 25 फरवरी, 2026 भारत के राजपत्र, असाधारण [भाग-III, खंड-4] में प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित सुधार किया जाता है, अर्थात्:—

- (1) पृष्ठ 35 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II में स्कीम-IV के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के स्थान पर रखा जाने वाले वाक्य “अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा” को “अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा” पढ़ा जाएगा।
- (2) पृष्ठ 36 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II में स्कीम-VII के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के स्थान पर रखा जाने वाले वाक्य “अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा” को “अनुरूपता प्रमाणपत्र प्रारंभ में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए मंजूर किया जाएगा” पढ़ा जाएगा।
- (3) पृष्ठ 36 पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II में स्कीम-IX के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के स्थान पर रखा जाने वाले वाक्य “मानक मुहर का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रारंभ में पांच वर्ष

की अवधि के लिए मंजूर की जाएगी” को “मानक मुहर का उपयोग करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रारंभ में पांच वर्ष की अवधि तक के लिए मंजूर की जाएगी” पढ़ा जाएगा।

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./71/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th April, 2026

F. No. BS/XI/11/01/2025-26.—The following correction is hereby made in the notification F. No. BS/XI/11/01/2025-26, the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Amendment Regulations, 2026 dated the 25th February, 2026 published in the Gazette of India, Extraordinary [Part-III, Section-4], namely:—

(1) at page 70 for substitution of the sub-paragraph (1) of the paragraph 8 in Scheme-IV in Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the sentence “*The certificate of conformity shall be granted initially for five years.*” shall be read as “*The certificate of conformity shall be granted initially upto five years.*”

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./71/2026-27]